HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 04.02.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of M.A. No. 06/2022 in O.A. No. 258 of 2021 titled as Jeevan Chandra Kashneyal Versus Bhuwan Chandra Kapri.

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Factual and Action Taken Report	
2	**Annexure-1**. Inspection report of Joint Committee dated 28.12.2021.	
3	**Annexure-2**. Copy of letter dated 25.03.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani.	
3	**Annexure-3**. Copy of letter dated 12.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani.	
3	**Annexure-4**. Copy of letter dated 20.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani.	
5	**Annexure-5**. Copy of letter issued to District Magistrate, Pithoragarh on dated 28.04.2022.	

Date: 04.05.2022
Place: Dehradun

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT
M.A. No. 06/2022
In
Original Application No. 258 of 2021

In the matter of:

Jeewan Chandra Kashneyal .... Applicant

Versus

Bhuwan Chandra Kapri .... Respondent

I. BACKGROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 258 of 2021 titled Jeewan Chndra Kashneyal Versus Bhuwan Chandra Kapri, issued following directions on 09.11.2021:

   3. We, therefore, dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the matter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving due opportunity of hearing to concerned affected person, expeditiously, and, in any case, within two months. A copy of this order be forwarded to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh by e-mail for compliance.

2. Further, Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in the matter of M.A. No. 06/2022 in O.A. No. 258 /2022 titled Jeewan Chndra Kashneyal Versus Bhuwan Chandra Kapri, issued following directions on 04.02.2022:

   4. In view of above, we find it necessary to ascertain the compliance status by requiring the State PCB and District Magistrate, Pithoragarh to furnish a factual and action taken report in the matter within two 2 months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 09.11.2021, the Joint Committee undertaken inspection of said *Atta Chakki & Masala Udhyog* on 28.12.2021. Complainant Shri Jeewan Chandra Kashneyal was also present at the time of inspection. Representative of following departments were part of Joint Committee:

i) Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Haldwani (Nainital).
ii) Tehsil, Pithoragarh.
iii) District Industry Centre, Pithoragarh.
iv) Nagar Palika Parisad, Pithoragarh.

II. FACTUAL REPORT

1. Observations of the Joint Committee is as given below:

i) The house/shop of complainant and respondent are adjacent to each other at Badda Road, Tildhukari, Pithoragarh.
ii) CHC is running in the house of complainant while respondent runs said *Atta Chakki & Masala Udhyog* in his house.
iii) The respondent has obtained approved map for commercial building from the Competent Authority in the year 2004-05 and obtained electricity connection in the category of "Industry up to 25 KW".
iv) The Nagar Palika Parisad, Pithroragarh has issued permission for operation of commercial activity at the said location.
v) The respondent also obtained pre-registration No. B/20/4301756 dated 10.01.1992 from the District Industry Centre, Pithoragarh.
vi) Said *Atta Chakki & Masala Udhyog* was in operation at the time of inspection. Noise level monitoring was also undertaken by the Uttarakhand Pollution Control Board and average noise level Leq was reported 66.24 dB(A).
vii) Said area exhibit mixed activities viz. residential and commercial. Monitored noise level was beyond the permissible limit under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.
viii) The respondent has not obtained consent to operate from the Uttarakhand Pollution Control Board for operation of said *Atta Chakki and Masala Udhyog*.

Copy of inspection report of Joint Committee is enclosed as **Annexure-1**.

Further, following clarifications were submitted by the Regional Officer, UKPCB, Haldwani in the matter vide letters dated 25.03.2022, 12.04.2022 and 20.04.2022:

i) *Respondents' Atta Chakki and Masala Udhyog* is located in mix area i.e. residential and commercial area.
ii) As per respondent, the average grinding of wheat and masala are 2000Kg/month and 25 kg/month, respectively, without involving in cleaning and pre-packaging of flour and spices.
iii) The capacity of motor being used in *Atta Chakki and Masala Udhyog* is 10 HP.
iv) As per Uttarakhand Power Corporation Ltd. electricity load is 10 KW and electricity supply released on 29.11.1991.

Copies of letters dated 25.03.2022, 12.04.2022 and 20.04.2022 of Regional Officer, UKPCB, Haldwani are enclosed as **Annexure-2, 3 & 4**.

2. It is pertinent to mention that a complaint case under section-133 of Code of Criminal Procedure is under trial before the Court of Sub-District Magistrate, Pithoragarh against the respondent i.e. Bhuwan Chandra Kapri, due to illegal operation said *Atta and Masala Chakki. Copy of notice issued under section-133 of Code of Criminal Procedure is already attached with* ***Annexure-1***.

III. CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL SECTORS UNDER RED, ORANGE, GRREN and WHITE CATEGORIES:

As per the classification of industrial sector – as Red, Orange, Green and White categories, as amended by the Central Pollution Control Board and added additional categories by the UKPCB, time to time, – *"Atta Chakkies, Chilly and Masala Powder, grinding of spices (operating up to 10 HP motor) for domestic uses involving dry process and without facility of packaging and marketing of products"* are categorized under white category with non-industrial activities.

As per Central Pollution Control Board's directions dated 07.03.2016 regarding harmonization and classification of industrial sectors under Red, Orange, Green and White categories –

Whereas, there shall be no necessity of obtaining the "Consent to Operate" for White category of industries and an intimation to concerned SPCB/PCC shall suffice.

In view of above, White category of operations is exempted from the purview of consent management by State PCB.

IV. CONCLUSION AND ACTION TAKEN BY UKPCB:

1. As per the classification of industrial sector under as Red, Orange, Green and White categories, as amended by the Central Pollution Control Board and added additional leftover categories by the UKPCB, time to time, said *Atta Chakki and masala Udhyog* is falls under White category, and there is no necessity of obtaining Consent to Operate from the UKPCB.

2. The noise level monitoring undertaken by the Regional Officer, UKPCB, Haldwani and reported increased average noise level (66.24 dB(A) with respect to permissible limit. Further, Uttarakhand Pollution Control Board has suggested the District Magistrate Pithoragarh vide letter dated 18.04.2022 to initiate action in accordance of notification dated 09.06.2021 issued by the Government of Uttarakhand in execution of provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2020. Copy of letter (with annexures) issued on dated 28.04.2022 is enclosed as **Annexure-5**.

****

ANNEXURE-1

UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ शि0/22/2057-893 Dt 04/01/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा)
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5867
Date 05/01/22

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 258/2021 में परित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एचओ/सा–183–535/2021/4720–930 दिनांक 20.11.2021 तथा दिनांक 16.12.2021 के अनुक्रम में जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 258/2021, दिनांक 09.11.2021 में पारित आदेश "We therefore dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP & PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the matter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving dur opportunity of hearing to concerned affected person, expeditiously and in any case within two months". के अनुपालन में कृत कार्यवाही निम्नवत हैः–

1. नगर पालिका परिषद पिथौरागढ, जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के अवर अभियन्ता तथा तहसीलदार महोदय पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 28.12.2021 को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (संलग्नक–1)
2. मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार वादी श्री जीवन चंद्र कशन्याल से दिनांक 28.12.2021 को सम्पर्क भी किया गया व उनके द्वारा अपने पक्ष को लिखित रूप में निरीक्षण टीम को अवगत कराया गया। (संलग्नक–2)
3. मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार Remedial action के रूप में सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के
4. अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही परगना मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ स्तर पर गतिमान है। (संलग्नक–3)

अग्रेतर उक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही, अनुपालन कर निरीक्षण आख्या सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

AS0 (R)

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

6.1.22

Br.W.
द्र0 पत्रावली प्रस्तुत,
06.01.2021

भवदीय,

4/1/22
(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न-1

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या 28 / जॉच / 2021--22 दिनांक दिसम्बर 29, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

विषय-- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वाद संख्या 258/2021 में पारित आदेश के समयाबद्ध अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या संख्या 1162/XX-NGT/2020--321 दिनांक 18 नवम्बर 2021, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वाद संख्या 258/2021 में पारित आदेश (We, tharefore, dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the metter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving due opprtunity of hearing to concerned affected person, expeditiously, and, in any case, within two months) के अनुपालन में दिनांक 28.12.2021 को सफाई निरीक्षक नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़, कनिष्ठ सहायक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ, अवर अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल, तथा तहसीलदार पिथौरागढ संयुक्त निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण आख्या मूल में सलग्न) है।
अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में एक वाद धारा 133 के अन्तर्गत मा0 परगना मजिस्ट्रेट महोदय पिथौरागढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त प्रकरण में निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्नक-- उक्तानुसार।

भवदीय,

उप जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

संलग्नक-1

संयुक्त निरीक्षण आख्या

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-258/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुपालन में तिलढुकरी निकट सिल्थाम वड्डा रोड जिला पिथौरागढ़ में स्थित श्री भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त कापड़ी द्वारा संचालित आटा एवं मसाला चक्की का निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री जीवन चन्द्र कशनियाल पुत्र स्व0 श्री लोकमणि कशनियाल की उपस्थिति में सफाई निरीक्षक नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़, कनिष्ठ सहायक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़, अवर अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी नैनीताल, तथा तहसीलदार महोदय पिथौरागढ़ की उपस्थिति में दिनांक 28.12.2021 को किया गया। आख्या निम्नवत् है-

जिला उद्योग केन्द्र की आख्या-

1. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) संचालन में थी।

2.आटा चक्की का प्री पंजीकरण संख्या बी/20/4301756, दिनांक 10.01.1992 के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में किया गया है।

3. आटा चक्की द्वारा वर्तमान तक जिला उद्योग केन्द्र से किसी भी प्रकार की सहमति (CAF,उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रेशन) प्राप्त नहीं किया गया है।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या-

1. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) संचालन में थी।

2. आटा चक्की को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

3. प्रश्नगत शिकायती स्थल (सी0एस0सी0 सेन्टर मोहल्ला- तिलढुकरी, वड्डा रोड) के समीप ध्वनि स्तर अनुश्रवण किया गया जिसमें ध्वनि अनुश्रवण का औसत ध्वनि स्तर 66.24 dB पाया गया।(शिकायती स्थल पर चक्की रोड के किनारे स्थित है जिससे परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण में आवासीय के साथ-साथ व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि भी सम्मलित है)।

4.उक्त शिकायती स्थल वाणिज्य, आवसीय मिश्रित क्षेत्र है तथा निरीक्षण के समय किया गया ध्वनि अनुश्रवण दिन के समय वाणिज्य/आवासीय क्षेत्र के मानक से अधिक है।

नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ की आख्या-

1. निरीक्षण के समय उक्त शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) संचालन में थी।

2. नगरपालिका परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाईसेन्स दिया गया है जोकि पालिका क्षेत्र में टेक्स के रूप में दिया जाता है। कोई भी व्यसवाई नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ की सीमा के अन्दर बिना पालिका के लाइसेंस प्राप्त किये व्यवसाय नहीं कर सकेगा।

3. इसके अतिरिक्त अन्य सहमति नगरपालिका परिषद द्वारा नहीं दी जाती है।

शेष.... 2 पर

राजस्व विभाग की आख्या– उपरोक्त विषयक महोदय के मौखिक आदेशों के कम में एवं कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या 1162/XX-NGT/2020–321 दिनांक 18नवम्बर 2021, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वाद संख्या 258/2021 में पारित आदेश (We, tharefore, dispose of this application with the direction to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to look into the metter and take appropriate remedial action without any further delay, after giving due opprtunity of hearing to concerned affected person, expeditiously, and, in any case, within two months) के अनुपालन में मौके में जाकर जॉच की गयी, शिकायतकर्ता श्री जीवन चन्द्र कशन्याल तथा श्री भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त की दुकान/मकान तिलढुकरी वड्डा रोड किनारे आपस में एक दुसरे से लगी हुयी है शिकायतकर्ता की दुकान में सी0एस0सी0 सेन्टर संचालित हो रहा है तथा विपक्षी श्री भुवन चन्द्र कापड़ी की दुकान में आटा/मसाला चक्की संचालित हो रही है। उक्त मसाला चक्की के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भवन को व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति संख्या 231/2004–5 नियत प्राधिकारी विनयमित क्षेत्र पिथौरगढ़ द्वारा प्रदान की गयी है। दुकान को विद्युत संयोजन का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त भवन हेतु सप्लाई टाइप में इन्डस्ट्री अप टू 25 कि0वा0 श्रेणी में संयोजन किया गया है तथा नगर पालिका पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका द्वारा अद्यतन लाईसेन्स जारी किया गया हैं। मौके पर उत्तराखण्ड प्रदुषण नियन्त्रण विभाग द्वारा ध्वनि अनुश्रवण का मापन किया गया जिसकी माप 66.24 dB अनुश्रवण किया गया(शिकायत स्थल पर चक्की रोड के किनारे स्थित है जिससे परिवेशीय ध्वनि अनुश्रवण में आवासीय के साथ–साथ व्यवसायिक गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनि भी सम्मलित है)।

जोकि से व्यवसायिक मानक से अधिक से पाया गया। जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उवत आटा चक्की के सम्बन्ध में चक्की स्वामी द्वारा विभाग से कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा तत्सम्बन्ध में सिविल कोर्ट सिनियर डिवीजन में वाद दायर किया गया था, जोकि वादी की ओर से प्रार्थनापत्र पर वल न दिये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

उपरोक्त प्रकरण में एक वाद धारा 133 के अन्तर्गत मा0परगना मजिस्ट्रेट महोदय पिथौरागढ़ के न्यायालय में विचारीधीन है।

सफाई निरीक्षक, नगरपालिका परिषद पिथौरागढ।	प्रतिनिधि, जिला उद्योग केन्द्र पिथौरगढ़।	अवर अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी नैनीताल।	तहसीलदार, पिथौरागढ़।

संलग्न-2

आज दि० 28-12-2021 को श्रीमान तहसीलदार महोदय पिथौरागढ़, खाद्य निरीक्षक नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़, अवर अभियन्ता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी, एवं कनिष्ठ सहायक जिला उद्योग केन्द्र पिथौरागढ़ के द्वारा शिकायती स्थल (स्वामी भुवनचन्द्र कापड़ी) का निरीक्षण किया गया

उक्त चक्की से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से मुझे अत्यन्त ~~[illegible]~~ प्रदूषण सम्बन्धी परेशानी हो रही जिस कारण मेरे कार्य में व्यवधान एवं स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त [illegible] उद्योग को यहां पर से हटवाने एवं बन्द करवाने की कृपा करें।

दि० 28/12/2021

धन्यवाद

प्रार्थी

जीवन चन्द्र करानयाल
पुत्र स्व० श्री लोकमणि करानयाल
तिलढुकरी
जिला - पिथौरागढ़

११

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ ।

मु0फौ0संख्या– 110 / 2021, धारा–133 द0प्र0सं0

संलग्नक-3

सरकार

बनाम

विपक्षी–

भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत्त,
तिलढुकरी वड्डा रोड पिथौरागढ,
तहसील एवं जिला पिथौरागढ।

नोटिस अन्तर्गत धारा–133 द0प्र0सं0

मेरे संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आपके द्वारा क्षेत्र में एक आटा एवं मसाला चक्की का संचालन किया गया है। जिसके द्वारा ध्वनि प्रदुषण उत्पन्न हो रहा है। जिससे आम जनता पर विपरीत प्रभाव पड रहा है, तथा लोक परिशान्ति भंग होने की प्रबल सम्भावना बनी हुई है। आपके द्वारा किये जा रहे उक्त कार्य से कभी भी परिशान्ति भंग हो सकती है। उक्त कार्य को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाना उचित होगा, ताकि लोक परिशान्ति भंग न होने पावे। अतः आपके द्वारा संचालित आटा एवं मसाला चक्की को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने हेतु धारा–133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं नन्दन कुमार, परगना मजिस्ट्रेट (सदर), पिथौरागढ इस नोटिस के जरिये विपक्षी उपरोक्त को यह निर्देश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस नोटिस के प्राप्ति के उपरान्त प्रश्नगत बाधा (न्यूसेंन्स) को तत्काल प्रभाव से स्वयं ही ठीक कर दें अथवा स्वयं दिनॉक 04.01.2022 को प्रातः 10 बजे न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट (सदर),पिथौरागढ में हाजिर हों, और इस बात का कारण दर्शित करें कि इस आदेश को क्यों न अन्तिम कर दिया जॉय ।

दिनांक 24.12.2021

(नन्दन कुमार)
परगना मजिस्ट्रेट,पिथौरागढ।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली,
पिथौरागढ ।

कृपया नोटिस की एक प्रति विपक्षी उपरोक्त को हस्तगत कराने उपरान्त एक प्रति पर उनके सुतिथि हस्ताक्षर लेकर नियत तिथि से पूर्व इस न्यायालय को वापस करें।

(नन्दन कुमार)
परगना मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ ।

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-2

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ शि0-7/22/2997-1179 Dt 25/03/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

90
06/04/22

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित एम0ए0 नं0–06/2022 ओरिजनल ऐपल्किेशन नं0–258/2021 जीवन चन्द्र कशनियाल बनाम भुवन चन्द्र कापरी के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–535/2022/7051–1359 दिनांक 22.02.2022 के अनुपालन में उक्त पत्रानुसार वॉछित सूचनायें संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

ASOR

आख्या

कृपया निर्देशानुसार मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 258/2021 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–535/2022/7051–1359 दिनांक 22.02.2022 के अनुपालन में श्री भुवन कापड़ी द्वारा तिलढुकरी, सिल्थाम, वड्डा रोड़, जिला–पिथौरागढ़ में संचालित आटा एवं मसाला चक्की की वॉछित आख्या निम्नवत है:–

1. शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) वाणिज्य व आवासीय मिश्रित क्षेत्र में स्थित है।
2. आटा एवं मसाला चक्की स्वामी द्वारा अवगत कराया गया है, चक्की द्वारा औसतन गेहॅु–2000 कि0ग्रा0 प्रतिमाह तथा मसाला–25 कि0ग्रा0 प्रतिमाह पीसा जाता है।
3. आटा एवं मसाला चक्की में क्लीनिंग तथा आटा एवं मसाले की प्रिपैकेजिंग का कार्य नहीं किया जाता है।
4. शिकायती स्थल पर विद्युत चालित आटा एवं मसाला चक्की स्थापित है तथा विद्युत बिल के अनुसार चक्की SUPPLY TYPE - RST-7 NEW RST-5 GENERAL LT INUSTRY UPTO 25KW श्रेणी में है। (संलग्नक–01)
5. उद्योग के संचालन के संबंध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड़ पिथौरागढ़ के अनुसार विद्युत सप्लाई रिलिज दिनांक 29.11.1991 है तथा कनेक्टेड़ लोड़ 10 कि0वॉ0 है। (संलग्नक–02)
6. आटा एवं मसाला चक्की द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

शुभम गुसाई
(अवर अभियन्ता)

सहा0वैज्ञा0 अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी

https://www.upcl.org/wss/LT_BillPreviewNew.htm?cscAmtP

संलग्नक - 01

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LIMITED
ELECTRICITY BILL AND DISCONNECTION NOTICE AS PER ELECTRICITY ACT 2003

DIV CODE : PT0	BOOK NO : K000	KNO : 19150	CIN : 20H01U004500007000191502	SCNO : PT0K000019150
BILL NO : 472200101000011	BILL DATE : 01/01/2020	DUE DATE : 06/01/2020	DISCON DATE : 05/02/2020	ACCOUNT NO : 40116947619

MONTH / YEAR : 012 / 2019 BILLED MONTHS : 1

B. C. KAPRI TILDHUKRI TILDHUKRI PITHORAGARH PITHORAGARH Pin : EMAIL : FAX CELL NO.* : 9897580052 (* To receive bill related SMS alerts, please submit latest mobile no. to division)	ED EXEMPTION N CONTINUOUS SUPPLY N	SUPPLY TYPE 70 CATEGORY NAME RTS-7- NEW-RTS-5 GENERAL LT INDUSTRY UPTO 25KW	MODE OF PAYMENT CASH / CHEQUE DISHONOURED CHEQUE 0

BILL BASIS	CONTR.LOAD	BILLING PERIOD FROM	TO	CONT.OPT: N VOL.SUP.	METER MAKE	METER NO	SECUTIRY DEPOSITED	ADDN.SEC.REQUIRED
MU	8.00 KW	30/11/2019	31/12/2019	0.40 KV	GENUS	314360	8775.09	0.00

READING SLOT	LAST READNIG	CURRENT READING	MF	UNIT CONSUMED	UNIT ADJUSTED	UNIT ASSESSED	TOTAL UNIT	UNIT RATE RS/UNIT	AMOUNT (₹)
NH	47383	47856		473	0	0	473	4.35	2057.55
EP	5616	5621		5	0	0	5	4.35	21.75
OP	91	91		0	0	0	0	0	0.00
MP	1457	1458	1.00	1	0	0	1	4.35	4.35
TOTAL				479	0	0	479		2083.65
CUM.MAX DEMAND	981.44	990.64		9.20					

BILL PARAMETERS	AMOUNT (₹)	
1. EXCESS CHARGES DUE TO MCG	0.00	
2. ACTUAL ENERGY CHARGES	2083.65	2083.65
3. FIXED DEMAND CHARGES FOR CONTR.LOAD @ 0- Above ₹ 145.0	1160.00	
4. FIXED DEMAND CHARGES FOR EXCESS LOAD	348.00	
5. TOTAL FIXED DEMAND CHARGES		1508.00
6. ELECTRICITY DUTY @ ₹ 0.20		96.00
7. GREEN ENERGY CESS @ ₹ 0.10/0.00		48.00
8. VOLTAGE SUPPLY REBATE		0.00
9. VOLTAGE SUPPLY SURCHARGE		0.00
10. FCA CHARGES @ ₹ 0.1 / SOLAR SYSTEM REBATE (-) (SOLAR CAPACITY: 0 L)		47.90 / 0.00
11.LOW POWER FACTOR SURCHARGE		208.37
12.EXESS OF SEASON LOAD DENIAL OF BENFIT + SURCHARGE		0.00
13.MAINTENANCE CHARGES / 25% EXTRA FOR RTS-10		0.00 / 0.00
14.ADDITIONAL ENERGY CHARGE @ ₹ 0.53 / ADDITIONAL SURCHARGE		253.87 / 0.00
15.NA ADJUSTMENT FOR MONTH		0.00
16./ CONTINUOUS SUPPLY SURCHARGE		0.00 / 0.00
17.CURRENT BILL		4245.79
18.CURRENT LPS / ADVANCE LPS		0.00 / 0.00
19.TOTAL DUE FOR THE MONTH		4245.79
20.AMOUNT DUE		0.00
21.ARREAR ADJUSTMENT(+/-)		
22.TOTAL		4246.00
23.TOTAL PAID AMOUNT AGAINST LAST BILL		
24.NET AMOUNT PAYABLE ON OR BEFORE : 06/01/2020		4246.00

Rs : Four Thousand Two Hundered Fourty Six Only

OTHER DETAILS

PF :	0.66
BILLABLE DEMAND :	0.00
OPEN ACCESS ENERGY RCVD :	0.00
LOAD FACTOR :	8.05
LOAD UNIT :	KW
CONSUMPTION UNIT :	KWH

CUMULATIVE READING

READINGS	LAST MONTH	CURRENT MONTH	CONSUMPTION
KWH :	54616	55096	480
KVAH :	78709	79441	732

LAST MONTH ARREAR :	0.00
LPS ARREAR (+/-) :	0.00

LAST PAYMENT DETAILS

Receipt No : 3347219121914140096 On : 19/12/2019 Rs : 4626.00/By Cash

ARREAR DETAILS

PREVIOUS YEAR ARREAR

CURRENT YEAR ARREAR

LAST SIX MONTH ACTUAL CONSUMPTION

Nov: 508, Oct: 694, Sep: 459, Aug: 507, Jul: 680, Jun: 600

AMOUNT PAYABLE	ON OR BEFORE : 21/01/2020 ₹4246.00	AFTER : 21/01/2020 ₹4299.00	AFTER :05/02/2020 ₹4352.00

DISPUTED ARREAR/LPS NOT INCLUDED IN THE BILL:

ARREAR : 0	LPS : 0	ARREAR SURCHARGE : 0	TOTAL : 0
B.C.	D.A.(R)	A.E.(R)	Executive Engineer

1. ALL PAYMENT ARE TO BE MADE IN CASH/D.D./LOCAL CHEQUE DRAWN IN FAVOUR OF EXECUTIVE ENGINEER,
2. IF CHEQUE IN ANY MONTH IS DIS-HONOURED, PAYMENT IN SUBSEQUENT MONTHS SHALL BE ACCEPTED BY CASH/D.D ONLY

नोटिस

प्रत्येक बिल का भुगतान देय तिथि तक अवश्य कर दे अन्यथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(1) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

P.T.O.

संलग्नक - 02

http://ca3.upcl.org/?id=106-2007375&meternum=314360 - Consumer History - Windows Internet Explorer

CONSUMER HISTORY FROM 29-Nov-1991 TO 24-Mar-2022

[illegible]	PT0K000019150	Category :	STN-71 / NEW RTS-5 ATT/
Name	B C KAPRI TILDHUKRI	Account No / CIN :	40116947619 / 20H01U0045I
[illegible]	NARAYAN DATT	Billing Status :	Live
[illegible]	TILDHUKRI ,PITHORAGARH ,PITHORAGARH	Contracted Load :	10 00 KW
[illegible]	9897580052 / 9897580052	Connected Load :	10 00 KW
[illegible]	PITHORAGARH	[illegible]	[illegible]
[illegible]	314360	Total Security Deposit :	9999.99
[illegible]	Yes	Material Security Deposit :	0 00
[illegible]	0	PAN Number :	ADIPK5323K
[illegible]	0	Led Type :	No
[illegible]	NON SOLAR	Led Installment	No
[illegible]	No	Solar Capacity	0
[illegible]	No	Government Type	
[illegible]	No		
		Suspension Effect Date	

ANNEXURE-3

258/
13/04/22

UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ हि०/22/147-54 Dt 12/04/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–258/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 एवं 04.02.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183 – 558/2022/8006–1534 दिनांक 31.03.2022 के अनुपालन में उक्त पत्रानुसार परिक्षण कर वॉछित आख्या संलग्नको सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

A/O R
16/4/22

16.04.2022

CEO (T)	CEO (S)	EE-Envis/ Water Cess/NAMP
CEO (Admn)	SO	PIO
Nodal-BMW	Nodal-SW/PW	Nodal-HW
Nodal-Legal	Nodal-Account	AO (I/C)

आख्या

कृपया निर्देशानुसार मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 258/2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 एव 04.02.2022 तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–558/2022/8006–1534 दिनांक 31.03.2022 के अनुपालन में श्री भुवन कापड़ी द्वारा तिलढुकरी, सिल्थाम, वड्डा रोड़, जिला–पिथौरागढ़ में संचालित आटा एवं मसाला चक्की की वॉछित आख्या निम्नवत है:–

1. शिकायती स्थल (आटा एवं मसाला चक्की) वाणिज्य व आवासीय मिश्रित क्षेत्र में स्थित है।
2. आटा एवं मसाला चक्की स्वामी द्वारा अवगत कराया गया है, चक्की द्वारा औसतन गेहुँ–2000 कि0ग्रा0 प्रतिमाह तथा मसाला–25 कि0ग्रा0 प्रतिमाह पीसा जाता है।
3. आटा एवं मसाला चक्की में क्लीनिंग तथा आटा एवं मसाले की प्रिपैकेजिंग का कार्य नहीं किया जाता है।
4. शिकायती स्थल पर विद्युत चालित आटा एवं मसाला चक्की स्थापित है तथा विद्युत बिल के अनुसार चक्की SUPPLY TYPE - RST-7 NEW RST-5 GENERAL LT INUSTRY UPTO 25KW श्रेणी में है। (संलग्नक–01)
5. उद्योग के संचालन के संबंध में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड पिथौरागढ़ के अनुसार विद्युत सप्लाई रिलिज दिनांक 29.11.1991 है तथा कनेक्टेड़ लोड़ 10 कि0वॉ0 है। (संलग्नक–02)
6. बोर्ड मुख्यालय पत्रांक UKPCB/HO/Gen-256(II)/2022/7972,1525 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा आटा एवं मसाला चक्की का Industrial Sector - Atta Chakkies, Chilly and Masala Powder, Grining of spcies (operating up to 10 HP motor) for domestic uses involving dry process and without facility of packaging and marketing of products तथा श्रेणी – सफेद में वर्गीकृत किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

शुभम गुसाई
(अवर अभियन्ता)

सहा0वैज्ञा0 अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE-4

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ शि0.1 (7)/22/209-77 Dt 20/04/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वैज्ञानिक)
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

580
28/04/22.

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–258/2021 में पारित आदेश 04.11.2021 एवं 04.02.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–535/2022/57 दि0 16.04.2022 द्वारा वांछित सूचनाए बिन्दुवार निम्नवत है।

1. श्री भुवन चन्द्र कापडी द्वारा संचालित आटा चक्की एवं मसाला चक्की में प्रयुक्त मोटर की क्षमता 10 HP है। (संलग्नक–1)
2. विषयगत आटा चक्की एवं मसाला चक्की की संचालन के समय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण संयुक्त निरीक्षण दिनाक 28.12.2021 तहसीलदार– पिथौरागढ़ तथा अन्य की उपस्थिति में किया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है। (संलग्नक–2)
3. भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत को द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत दि0 24.12.2021 को नोटिस परगना मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत किया गया है। तथा वाद परगना मजिस्ट्रेट (सदर) के न्यायालय में विचाराधीन है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि

ASO R
30/4/22

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

30.04.2022

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-01

M/s Agarwal Machinery Store

All Range of ... & Machinery Parts ...

Galla Mandi Road Bhagat Singh Chowk Rudrapur (U.S. Nagar)

M/s. Kumar Steel Rajpura Pithoragarh

No. 101

Date 14/11

PARTICULARS	QTY.	RATE	AMOUNT	
(1) Motor Jont 1 HP 1440 RPM. C.G.			17025.00	
			17025.00	
Tax at 13.5%			2298.37	
VAT ....@				
G. TOTAL			19323.37	

USHA

For Agarwal Machinery Store

Partner

Satyveer Printers

सत्यापित-02

Regional Office

Uttarakhand Pollution Control Board

Avas Vikas Colony

Haldwani

UTTARAKHAND

UEPPCB

NOISE LEVEL MONITORING

1	Report No.	Noise/HLD/40/2021-22
2	Name of Industry & Address	M/s Sh. Jeewan Chandra Kashneyal (CSC Centre) Tildhukari Wadda Road ,Pithoragarh
3	Date of Monitoring	28.12.2021
4	Sample Collected by	Sh Shubham Guşain JE Sh Ravindra Singh Jarout MA

5 OBSERVATION

S.No.	Monitoring Location	Time	Noise Level dB (A)		
			L max	L min	L eq
1	Specified by Complanier	12:15 -12:25	73.5	51.8	66.2

Note :-1. Monitoring was done in presence of Tehsildar Pithoragarh,SI Nagar Palika Parishad Pithoragarh,LDC District Industries Centre Pithoragarh and Complainer.

2.During monitoring Atta chakki was in operation.

Monitoring Asstt

Scientific Asstt

Regional Officer

ANNEXURE-5

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001

कार्यालय दूरभाष सं0:–2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक:यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–535 / 2022 / 107, दिनांक:28.04.2022

स्पीड पोस्ट / ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)।

विषय:–मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–258/2021 जीवन चन्द कशन्याल बनाम भुवन चन्द कापड़ी में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–258/2021 जीवन चन्द कशन्याल, मोहल्ला तिलढुकरी, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ द्वारा बनाम भुवन चन्द कापड़ी, निवासी तिलढुकरी, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ में पारित आदेश दिनांक 04.02.2022 का संदर्भ लेना चाहें। सुलभ संदर्भ हेतु आदेश की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रतिवादी श्री भुवन चन्द कापड़ी द्वारा एक आटा चक्की एवं मसाला उद्योग का संचालन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित की जा रही है एवं उससे वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि, प्रश्नगत इकाई "सफेद" श्रेणी के अंतर्गत आता है एवं पॉल्यूशन इन्डैक्स के आधार पर उक्त यूनिट द्वारा वायु प्रदूषण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ–साथ सफेद श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आपके संज्ञान में लाना है कि, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20.04.2022 के क्रम में दिनांक 28.12.2021 को उक्त इकाई के समीप नियमानुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया गया जिसमें ध्वनि स्तर 66.24dB पाया गया। सुलभ संदर्भ हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, हल्द्वानी का पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)।

उक्त अनुश्रवण से यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारा ध्वनि स्तर के मानक का उल्लंघन किया जा रहा है।

आप अवगत हैं कि, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.06.2021 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम 3(2) के अन्तर्गत ध्वनि के संदर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न क्षेत्र/जोन को शान्त क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यक क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। उक्त अधिसूचना के बिन्दु (8) के अंतर्गत उक्त नियम को लागू करने हेतु प्राधिकारी नामित किये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.06.2021 की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–3)।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं मा0 एन0जी0टी0 में Factual & Action Taken Report दाखिल करने का कष्ट करें।

आपके संज्ञान में लाना है कि प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 05.05.2022 को नियत है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28.4.22

(एस0पी0 सुबुद्धि)

सदस्य सचिव।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ से समन्वय कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव।

Annexure-1

Item No. 05 (Court No. 1)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

M. A. No. 06/2022
In
Original Application No. 258/2021

Jeewan Chandra Kashneyal Applicant

Versus

Bhuwan Chandra Kapri Respondent

Date of hearing: 04.02.2022

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. Grievance in this application is against non-compliance of order of this Tribunal dated 09.11.2021 directing the Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh to take remedial action in the matter of violation of environmental norms in operating an *Atta Chakki* and Masala Udyog in District Pithoragarh by one Bhuwan Chandra Kakri.

2. It is now stated that the said authorities are not looking into the applicant's grievance.

3. In view of above, we find it necessary to ascertain the compliance status by requiring the State PCB and District Magistrate, Pithoragarh to furnish a factual and action taken report in the matter within two

months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 05.05.2022.

A copy of this order be forwarded to Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh by e-mail for compliance.

The applicant may serve a set of papers on Member Secretary, UEP&PCB and the District Magistrate, Pithoragarh and file an affidavit of service within one week.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 04, 2022
M. A. No. 06/2022 In
Original Application No. 258/2021
SN

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ हि0.1(7)/22/209-77 Dt 20/04/22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वैज्ञानिक)
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–258/2021 में पारित आदेश 04.11.2021 एवं 04.02.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी0/एच0ओ0/सा0–183–535/2022/57 दि0 16.04.2022 द्वारा वांछित सूचनाए बिन्दुवार निम्नवत है।

1. श्री भुवन चन्द्र कापडी द्वारा संचालित आटा चक्की एवं मसालां चक्की में प्रयुक्त मोटर की क्षमता 10 HP है। (संलग्नक–1)
2. विषयगत आटा चक्की एवं मसाला चक्की की संचालन के समय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण संयुक्त निरीक्षण दिनाक 28.12.2021 तहसीलदार– पिथौरागढ़ तथा अन्य की उपस्थिति में किया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है। (संलग्नक–2)
3. भुवन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री नारायण दत को द0प्र0स0 की धारा 133 के अन्तर्गत दि0 24.12.2021 को नोटिस परगना मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा निर्गत किया गया है। तथा वाद परगना मजिस्ट्रेट (सदर) के न्यायालय में विचाराधीन है।

आख्या अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

20/4/22

Scanned with CamScanner

संलग्नक -01

M/s Agarwal Machinery Store

Gola Road Danapur ...

PARTICULARS	QTY	RATE	AMOUNT
(1) Motor ... 1440 Rpm	1		17025.00
			17025.00
Tax @ 13.5%			2298.37
VAT ......@			
G. TOTAL			19323.37

For Agarwal Machinery Store

Satyveer Printers ...

संलग्न -2

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
Avas Vikas Colony
Haldwani

UTTARAKHAND
UEPPCB

NOISE LEVEL MONITORING

1 Report No. — Noise/HLD/40/2021-22

2 Name of Industry & Address — M/s Sh. Jeewan Chandra Kashneyal (CSC Centre) Tildhukari Wadda Road ,Pithoragarh

3 Date of Monitoring — 28.12.2021

4 Sample Collected by — Sh Shubham Guşain JE
Sh Ravindra Singh Jarout MA

5 OBSERVATION

S.No.	Monitoring Location	Time	Noise Level dB (A)		
			L max	L min	L eq
1	Specified by Complanier	12:15 -12:25	73.5	51.8	66.2

Note :-1. Monitoring was done in presence of Tehsildar Pithoragarh,SI Nagar Palika Parishad Pithoragarh,LDC District Industries Centre Pithoragarh and Complainer.

2.During monitoring Atta chakki was in operation.

Monitoring Asstt   Scientific Asstt   Regional Officer

Scanned with CamScanner

Annexure-3

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 55 /XXXVIII-I-21-08(15)2020
देहरादूनः दिनांक 09 जून, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), नियम, 2000 (समय–समय पर यथासंशोधित) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (2) के क्रम में ध्वनि हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानकों को लागू करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्र/ज़ोन को शांत क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करते हैं :-

1. शांत क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित है –

(i) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, जिला अस्पतालों, मैडिकल कॉलेजों व 50 व इससे अधिक बिस्तर के हेल्थ केयर फैसिलिटिस के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;

(ii) शैक्षिक संस्थान के परिसर के न्यूनतम सौ (100) मीटर के परिक्षेत्र;

(iii) संरक्षित वन क्षेत्र व सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई अन्य वन क्षेत्र, एवं

(Iv) सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व वाले धरोहर/पुरातत्व स्थल।

2. आवासीय क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –

(i) किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा किसी ज़ोनल प्लान/मास्टर प्लान के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किसी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित/अधिसूचित आवासीय क्षेत्र एवं कोई आवासीय कॉलोनी, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी;

(ii) ज़ोनल क्षेत्र/मास्टर प्लान या किसी भी सरकारी परियोजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र व अन्य ग्रामीण क्षेत्र, खण्ड 1(iv) के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर;

(iii) खण्ड 1, खण्ड 3 एवं खण्ड 4 के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र।

3. <u>वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोनः सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –</u>

स्थानीय विकास प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

4. <u>औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन सभी क्षेत्र, जिनमें सम्मिलित हैं –</u>

(i) राज्य सरकार के उद्योग विभाग, जिला प्राधिकरणों, सिडकुल (SIDCUL) अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां भूमि के उपयोग को बदल कर राज्य में विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु औद्योगिक के रूप में परिवर्तित किया गया हो।

उपरोक्त सभी क्षेत्रों को शांत क्षेत्र/ज़ोन, आवासीय क्षेत्र/ज़ोन, वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोन और औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन के रूप में एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

5. **स्पष्टीकरणः** क्षेत्र/ज़ोन के वर्गीकरण को अग्रेत्तर निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जाता है:

(i) किसी मिश्रित उपयोग के भौगोलिक क्षेत्र को आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक के रूप से प्रयोग किया जाने के मामले में, जिलाधिकारी को उक्त क्षेत्र को स्थानीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों/स्थानीय पंचायतों के परामर्श से आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक में वर्गीकरण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिलाधिकारी द्वारा खण्ड 5 (i) के अन्तर्गत लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष अपील कर सकेगा। क्षेत्र/ज़ोन के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन हेतु ध्वनि के मानक खनन क्षेत्र/स्टोन क्रशर के संचालन हेतु भी सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त लागू होंगे।

<u>अपवादः</u> ऐसी किसी भी प्रक्रिया के संचालन में, जो सरकार के हित में अथवा किसी सार्वजनिक आपातकाल अथवा किसी व्यक्ति, जीव की प्राणरक्षा अथवा चुनावी प्रक्रिया अथवा राष्ट्रीय/राज्य उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों/ज़ोनों हेतु निर्धारित ध्वनि का स्तर इस दशा में मान्य नहीं होगा।

6. <u>परिवेशीय वायु गुणवत्ता के संदर्भ में ध्वनि के मानक –</u>

उक्त वर्गीकृत क्षेत्रों में ध्वनि के सम्बन्ध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक उक्त नियम की अनुसूची में दिए अनुसार होंगे, जो कि निम्नलिखित हैं :–

क्षेत्र/ज़ोन	ध्वनि सीमा (डेसिबल–ए)एल0ई0क्यू0	
	दिन के समय (प्रातः 6:00 बजे से रात्रिः 10:00 बजे तक)	रात्रि के समय (रात्रिः 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक)
शांत क्षेत्र/ज़ोन	50	40
आवासीय क्षेत्र/ज़ोन	55	45
वाणिज्यिक क्षेत्र/ज़ोन	65	55
औद्योगिक क्षेत्र/ज़ोन	75	70

7. **हॉर्न व लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध –**

1. सम्पूर्ण राज्य में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा।
2. लाउडस्पीकर के साथ ध्वनि सीमक के निर्धारण हेतु गाइडलाईन/मानकः–

   (क) सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी लाउडस्पीकर को खुले में संचालन हेतु सहमति प्रदान करते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक द्वारा लाउडस्पीकर/ध्वनि जनित करने वाले उपकरण में ध्वनि सीमक स्थापित करे, जिससे कि ध्वनि सीमा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही रहे।

   (ख) खुले स्थान में लाउडस्पीकर का प्रयोग ध्वनि सीमक के बिना नहीं किया जायेगा।
3. शांत क्षेत्र व आवासीय क्षेत्र में किसी भी खुले स्थान कार्यक्रम में किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे– (स्कूल व कॉलेज की परीक्षा, राज्य स्तर द्वारा आयोजित मैडिकल/प्री–मैडिकल परीक्षा व ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसका आयोजन उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कराया जा रहा हो), जहाँ बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सम्मिलित हों, के तीन दिन पूर्व से ऐसी परीक्षा के समाप्त होने तक लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

8. **उक्त नियम को अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु नामित प्राधिकारी –**

उक्त नियम के नियम 2 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत, प्राधिकारी के रूप में ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुपालन कराने हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है :–

क्र0सं0	प्राधिकारी	क्षेत्रान्तर्गत
1.	कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो तहसीलदार के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र
2.	कोई पुलिस अधिकारी जो सब–इंस्पेक्टर के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी क्षेत्र
3.	सभी वनाधिकारी जो वन रेंजर अधिकारी के पद से न्यून न हों।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित सभी पी0ए0 तथा वन क्षेत्र
4.	शहरी स्थानीय निकाय के सहायक नगर आयुक्त/ कार्यकारी अधिकारी/ स्वास्थ्य अधिकारी	शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र
5.	सभी अधिकारी (तकनीकी व वैज्ञानिक) जो सहायक अभियन्ता/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के पद से न्यून न हो।	उनके क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित औद्योगिक क्षेत्र/जोन

9. **प्राधिकारी की भूमिका व उत्तरदायित्व :–**

उक्त नियम के नियम 4 व 5 के क्रम में प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि के सन्दर्भ में परिवेशीय वायु गुणवत्ता को मानकों के अनुरूप रखने हेतु, उक्त नियम के विभिन्न नियमों में प्रदत्त समस्त शक्तियों के साथ–साथ, निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जायेगाः–

(i) उक्त नियम 5 के उपनियम (1) के अन्तर्गत सहमति प्रदान करना।

(ii) प्राप्त शिकायतों के क्रम में उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध उक्त नियम 7 के उप नियम (2) के अन्तर्गत कार्रवाई करना, जिसमें शोर जनित करने वाले यंत्र को जब्त करना व इस अधिसूचना के खण्ड 10 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना अधिरोपित करना।

10. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना –**

उक्त नियम के नियम 6 के अन्तर्गत उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु प्राधिकारी को अधिकृत किया जाता हैः–

श्रेणी	प्रथम उल्लंघन	द्वितीय उल्लंघन	तृतीय या अधिक उल्लंघन
व्यक्तिगत	1000/-	2500/-	5000/-
धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सवों के संचालक इत्यादि।	5000/-	10,000/-	15,000/-
होटल, भोजनालयों, पब, बैनक्वैट हॉलस इत्यादि	10,000/-	15,000/-	20,000/-
औद्योगिक इकाईयां, खनन कार्य इत्यादि।	20,000/-	30,0000/-	40,000/-

11. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि का उपयोग** – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि, जो कि प्राधिकारियों द्वारा वसूली जायेगी, को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास एक पृथक खाते में रखा जायेगा तथा इसका उपयोग वायु प्रदूषण के अनुश्रवण एवं रोकथाम हेतु किया जायेगा।

12. **अपीलः** प्राधिकारियों, जैसा कि उक्त नियम में अभिहित किया गया है, के द्वारा की गयी कार्यवाही के विरूद्ध एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।

9/6/21

(नेहा वर्मा)
अपर सचिव।

<u>संख्या– 55 (1)/XXXVIII-I-21-08(15)2020, तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।
3. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. विधिक सलाहकार/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

8. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव।
13. निदेशक, प्रिटिंग प्रेस सरकार, रूड़की, को उत्तराखण्ड हेतु राजपत्रित अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु।
14. सरकारी पोर्टल / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतेन्द्र बर्मन)
अनु सचिव।